न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 24/2015 ::

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :-
तहसीलदार रोहट, भूमिधारी तहसील रोहट, जिला पाली		नरपतसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत निवासी 16, स्कूल गली, केरापुरा, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अधिवक्ता अपीलाण्टगण की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम
अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 23/10/18

अपीलांटगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 165 दिनांक 12.05.1975 जो मौजा राणा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 33 (वर्तमान ख.न. 33/1) रकबा 15 बीघा निस्बत आवंटन आदेश दिनांक 08.06.1966 को खारिज होने के बावजूद रेकर्ड में इन्द्राज किया गया को निरस्त कराने हेतु पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से भारतीय म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के साथ ही मैरिट पर भी बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 23.10.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन अनुसार प्राथमिक आपत्ती, म्याद के बिन्दु तथा अपील के गुणावगुण पर बहस सुनी गई वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2017 में उल्लेखित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्राथमिक आपत्तियां बाबत कथन किया कि :-

1. यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में की गई है, इसलिए विधिनुसार इस अपील की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। इससे रेस्पोडेण्ट को न्याय की प्राप्ती नहीं होगी। अपील के पैरा सं. 3 में वर्णित अनुसार प्रशासनिक हैसियत से अपीलाधीन नामान्तरकरण को अवैध मानकर अपील हेतु तहसीलदार रोहट को निर्देशित किया गया है। इससे श्रीमान द्वारा निर्णय पहले ही जाहिर कर दिया गया है।
2. रेस्पोडेण्ट द्वारा भूमी विक्रय जरिए पंजिबद्ध रजिस्ट्री के की गई है। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होते हुए भी क्रेता को अपील में आवश्यक पक्षकार नियोजित नहीं किया गया है। इस कारण से अपील खारिज योग्य है।
3. अपील अपीलाण्ट स्वयं के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है, जो पोषणीय नहीं है।
4. अपील मीमो में नामान्तरकरण संख्या 165 के साथ नामान्तकरकरण संख्या 298 को भी निरस्त की मांग की है, दोनों ही अलग-अलग न्यायिक आदेश होने से एक ही अपील विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस प्राथमिक आपत्ती के कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण एक खारिज किए गए आवंटन प्रार्थना पत्र के आधार पर भरा गया है। जो Ab Inito Void होने से उसके पश्चातवर्ती सभी नामान्तरकरण स्वतः निरस्त हो जाते है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

इसलिए न तो क्रेता को पक्षकार बनाने की आवश्यकता है, न ही दो नामान्तरकरण साथ में खारिज किए जाने की। जहां तक अपील का सवाल है यह अपील भूमीधारी द्वारा इस न्यायालय में जरिए न्यायिक प्रक्रिया के नामान्तरकरण 165 के विरूद्ध अपील पेश करने के निर्देश दिए गए थे, जो एक विधिक प्रक्रिया का हिस्सा है तथा जनअभाव अभियोग में रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध शिकायत पेश होने पर बाद जांच नामान्तरकरण के वैधानिकता को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से परखने हेतु भूमीधारी का प्रकरण पेश करने हेतु प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे। जो निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया अपना कर रेस्पोडेण्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए न्यायोचित कार्यवाही करने के उद्देश्य से अपील पेश करने के लिए निर्देश दिए गए थे, न की नामान्तरकरण खाजिर करने की मंश से। वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा स्थिति के वास्तविक तथ्यों को जानते हुए भी इस प्रकार की आपत्तियां पेश कर न्यायिक प्रक्रिया का बेजा फायदा रेस्पोडेण्ट को पहुंचाने की मंशा से कर रहे है, इससे जाहिर होता है कि वकील रेस्पोडेण्ट उपरोक्त प्राथमिक आपत्तियां स्वच्छ हाथों से पेश नहीं कर रहे है। इसलिए प्राथमिक आपत्तियां निरस्त फरमाई जावें।

अधिवक्तागण के वक्त बहस उक्त प्रार्थना पत्र संबंधी कथनों के उपर मनन किया गया। शिकायतकर्ता कल्याणसिंह पुत्र दलपतसिंह राजपूत निवासी राणा ने जनअभाव अभियोग में परिवाद संख्या 35/15 दर्ज कराये जाने पर बाद जांच यह तथ्य सामने आया कि श्री नरपतसिंह द्वारा प्रस्तुत भूमी आवंटन फार्म को आवंटन अधिकारी द्वारा निरस्त (Rejected) किए जाने के बावजूद भी बिना किसी आधार के नामान्तरकरण इन्द्राज कर दिया पहले गैर खातेदार व बाद में खातेदार दर्ज हो गया। श्री नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत ग्राम केरपुरा तहसील बाली का निवासी है, उसने अपने आप को ग्राम राणा तहसील रोहट का निवासी बताकर भूमी आवंटन हेतु फार्म आवंटन कमेटी के समक्ष पेश किया, जो भूमी आवंटन सलाहकार समिती द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त (Rejected) कर दिया गया था, फिर भी उस खरिज आवंटन के आधार पर तत्कालीन पटवारी से मिली भगत कर, तत्कालीन हल्का पटवारी ने पद का दुरूपयोग करते हुए एक शुन्य एवं गलत नामान्तरकरण संख्या 165 आवंटी के नाम गैर खातेदारी का भर दिया तथा आगे गैर कानूनी तरीके से खातेदारी अधिकारी प्राप्त कर लिए, जैर अपील आराजी खसरा नम्बर 33 (वर्तमान अब 33/1) रकबा 15 बीघा पर नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह का कब्जा नहीं रहा, इस प्रकार विधी विरूद्ध तरीके से बिना वैधानिक आधार के भूमी का नामान्तरकरण नरपतसिंह के नाम कराना स्पष्ट हो जाने पर जन अभाव अभियोग के निराकरण हेतु तथा प्रकरण की सम्पूर्ण न्यायिक विधी सम्मत समीक्षा हेतु ही न्यायालय में अपील पेश करने के आदेश दिए गए थे, जो पूर्ण रूप से प्रशासनिक थे, इसमें किसी प्रकार का दोष नही होने से यह आपत्ती खारिज योग्य है।

आवंटी नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह द्वारा निरस्त आवंटन फार्म के आधार पर नामान्तरकरण भरवा दिया, इस प्रकार के नामान्तरकरण Ab Inito Void होने से आगे विक्रय किया जाना एवं नामान्तरकरण इन्द्राज किए गए है। वे सभी प्रभावित होने से नामान्तरकरण संख्या 165 के खारिज होने से स्वतः ही निरस्त हो जाऐगें। ऐसी स्थिति में यह आपत्ती भी निरस्त योग्य है कि क्रेता को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था।

तहसीलदार द्वारा यह अपील सरकार की ओर से भूमीधारी होने के कारण प्रस्तुत करने का अधिकारी है तथा उनका दायित्व भी है, इसलिए उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती यह कथन सर्वथा अनूचित व न्यायोचित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। नामान्तरकरण भरते व अपील प्रस्तुत करते समय पृथक–पृथक व्यक्ति बतौर भूमीधारी पदासीन थे। इसलिए सम्पूर्ण तहसील के रेकार्ड की जानकारी होना संभव नहीं है। अपील पेश करना ही एक मात्र विधी सम्मत उपाय होने से यह अपील तहसीलदार रोहट द्वारा जानकारी में आते ही पेश किया जाना विधी सम्मत है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

दोनों नामान्तरकरण संख्या 165 व 298 को निरस्त किए जाने का अपील मीमों में उल्लेख है। लेकिन अपील मूल रूप से नामान्तरकरण संख्या 165 को ही निरस्त करने के लिए पेश की गई है। जिसका आधार खारिज हुए आवंटन प्रार्थना पत्र को बनाया गया है, जिसके निरस्त होते ही पश्चातवर्ती इन्द्राज स्वतः शुन्य हो जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ती प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2017 को निरस्त किया जाता है। वकील रेस्पोडेण्ट ने अपील के म्याद के संबंध में 49 वर्ष पश्चात पेश किया जाना बताते हुए कथन किया कि भूमीधारी के पास रेकार्ड रहते हुए एवं आवंटन गैर खातेदारी का नामान्तरकरण, खातेदारी प्रदान करने के नामान्तरकरण एवं विक्रय किए जाने के नामान्तरकरण आदि प्रक्रिया स्वयं द्वारा निस्पादित करने के बाद भी अनजान रहते हुए अपील देरीना पेश की, जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से एवं म्याद अवधि को शमन करने का यथोचित वेधिक कारण नहीं होने से अपील म्याद बाहर मानकर खारिज फरमावें।

अपीलाण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार ने म्याद के बिन्दु पर वक्त बहस कथन किया कि कल्याणसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी राणा के जनअभाव अभियोग में परिवाद संख्या 35/15 दर्ज कराने पर उसकी जांच करने पर अपील में वर्णित तथ्य सामने आने पर यह अपील बाद जांच एवं विधिक राय प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुत की गई, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे। जहां तक भू आवंटन प्रार्थना पत्र श्री नरपतसिंह द्वारा पेश किया गया, वह भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न है, फिर भी रेस्पोडेण्ट द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिली भगत कर एक खारिज आवंटन प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर जानबुझ कर यह नामान्तरकरण भरकर पारित कर दिया जो Ab Inito Void होने से इसके लिए म्याद का प्रश्न आड़े नहीं आता है। म्याद के बिन्दु पर इस प्रकार के प्रकरण में अपील खाजिर किए जाने से ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए म्याद के बिन्दु को गौण फरमाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित फरमावें।

म्याद के बिन्दु पर बहस सुनी गई रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। सभी दृष्टान्त नियमानुसार सम्पादित कार्यवाही की अपील व्यथित पक्षकारों द्वारा करने से संबंधित है, इस प्रकरण में नामान्तरकरण का आधार ही एक निरस्त सुदा भूमी आवंटन प्रार्थना पत्र होने से प्रस्तुत उद्धरण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। रेस्पोडेण्ट नरपत सिंह द्वारा दिनांक 08.06.1966 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। फिर भी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेस्पोडेण्ट के नाम भूमी आवंटन होने बाबत नामान्तरकरण भरकर उसे गैर खातेदार दर्ज कर दिया। इस प्रकार सादिर किया गया आवंटन Ab Inito Void होने से म्याद का बिन्दु को व्यवधान मानना उचित नहीं है। प्रश्न नामान्तरकरण के वैधानिक आधार को परखना है कि नामान्तरकरण जिस आधार पर भरा गया, वह न्यायोचित है अथवा नहीं प्रथम दृष्टया नामान्तरकरण भरा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप म्याद अवधि का शमन करते हुए अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं नामान्तरकरण की वैधानिकता का गुणावगुण पर निर्णय किए जाने हेतु अपील पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट नरपतसिंह भू आवंटन हेतु नियमों में वर्णित पात्रता नहीं रखता था, इसलिए भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया तथा उस वक्त सन् 1966 में रेस्पोडेण्ट स्वयं पटवारी के पद पर कार्यरत नहीं था, बाद में जब पटवारी के पद पर उसकी नियुक्ति दिनांक 11.05.1967 को तहसील रोहट में हो गई, तब उसके बाद राजस्व

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

कार्मिकों/अधिकारियों से मिली भगत व कूटरचना कर अपने प्रभाव से एक खारिज (Rejected) प्रार्थना पत्र को भी अनदेखा कर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 165 ग्राम राणा दिनांक 12.05.1975 को बिना किसी आधार दस्तावेज के नियम विरूद्ध भरकर स्वीकृत करवा दिया गया तथा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया जो निरस्त किया जावे। एक खारिज प्रार्थना पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरा गया जो Ab Inito Void एवं कूटरचित होने से निरस्त किया जावें तथा मात्र विक्रय कर देने से अविधिक कार्य को विधिक मानकर नामान्तरकरण यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि रेस्पोडेण्ट को भूमी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भूमी आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र को उसके रंजिश रखने वाले ससुरालपक्ष के लोगों ने आवंटन सुदा भूमी उनको न देकर अन्य व्यक्ति को बेचाण कर देने के कारण नाराज होकर आंवटन दस्तावेज गायब करवा दिए है। रेस्पोडेण्ट नरपतसिंह रेकार्ड के अनुसार 40–50 वर्षो से जैर अपील आराजी पर काबिज है व काश्त कर रहा है। रेकार्ड के आधार पर ही जरिए रजिस्ट्रर्ड दस्तोवज जैर अपील भूमी को विक्रय भी कर दिया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। जो भूमी आवंटन प्रार्थना पत्र रेस्पोडेण्ट नरपतसिंह द्वारा पेश किया गया था उसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खारिज (Rejected) किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली में संलग्न है, फिर भी जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत कर दिया, जिसका विधिक आधार नहीं होने से खारिज योग्य है। वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन को बदलकर खारिज आवेदन तहसील रेकार्ड में डाल देने का कथन किया गया, जिसका वैधानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया है, न ही अन्य स्वीकृत सुदा आवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पेश की गई, न ही कार्यवाही रजिस्टर की प्रति पेश की गई है, रेस्पोडेण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर कब्जा होना जाहिर किया गया है, जबकि कब्जे बाबत किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं किया गया है, मात्र समयावधि एवं जैर अपील आराजी के विक्रय कर दिए जाने से खारिज आवंटन प्रार्थना पत्र के आधार पर भरे गए नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम राणा के खसरा नम्बर 33 (वर्तमान 33/1) के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 165 दिनांक 12.05.1975 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार रोहट को निर्णय की प्रति के साथ ही मूल नामान्तरकरण वास्ते पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)